न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 78/2018

वादी	बनाम प्रतिवादीगण
1. जगतार सिंह पुत्र हरपाल सिंह जाति जटसिख निवासी 6 एफए रडेवाला तहसील श्री करणपुर। 2. बलतार सिंह पुत्र हरपाल सिंह जाति जटसिख निवासी 6 एफए रडेवाला तहसील श्री करणपुर। 3. जसकरण सिंह पुत्र अंग्रेज सिंह जाति जटसिख निवासी 6 एफए रडेवाला तहसील श्री करणपुर। 4. बलकरण सिंह पुत्र अग्रेज सिंह जाति जटसिख निवासी 6 एफए रडेवाला तहसील श्री करणपुर। 5. हरदीप सिंह पुत्र गुरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 6 एफए रडेवाला तहसील श्री करणपुर। 6. बलजिन्द्र कौर पत्नि हरदीप सिंह जाति जटसिख निवासी 6 एफए रडेवाला तहसील श्री करणपुर।	1. गुरदीप कौर पत्नि सुरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 6 एफ ए रडेवाला तहसील श्री करणपुर। 2. पालो पुत्री सुरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 6 एफ ए रडेवाला तहसील श्री करणपुर। 3. मन्दर सिंह पुत्र सुरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 6 एफ ए रडेवाला तहसील श्री करणपुर। 4. जलन्धर सिंह पुत्र सुरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 6 एफ ए रडेवाला तहसील श्री करणपुर। 5. हरनेक सिंह पुत्र बुगर सिंह जाति जटसिख निवासी 6 एफ ए रडेवाला तहसील श्री करणपुर। 6. हरफुल सिंह पुत्र बुगर सिंह जाति जटसिख निवासी 6 एफ ए रडेवाला तहसील श्री करणपुर। 7. बलजीत कौर पत्नि प्रताप सिंह जाति जटसिख निवासी 6 एफ ए रडेवाला तहसील श्री करणपुर। 8. राज सिंह पुत्र प्रताप सिंह जाति जटसिख निवासी 6 एफ ए रडेवाला तहसील श्री करणपुर। 9. शिवराज सिंह पुत्र प्रताप सिंह जाति जटसिख निवासी 6 एफ ए रडेवाला तहसील श्री करणपुर। 10. भोला सिंह पुत्र प्रताप सिंह जाति जटसिख निवासी 6 एफ ए रडेवाला तहसील श्री करणपुर। 11. पृथ्वीपाल सिंह पुत्र बन्ता सिंह जाति जटसिख निवासी 6 एफ ए रडेवाला तहसील श्री करणपुर। 12. मनजीत सिंह पुत्र मिठ्ठू सिंह जाति जटसिख निवासी 6 एफ ए रडेवाला तहसील श्री करणपुर। 13. तेज कौर पत्नि गुरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 6 एफ ए रडेवाला तहसील श्री करणपुर। 14. चरणजीत कौर पुत्री गुरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 6 एफ ए रडेवाला

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर

तहसील श्री करणपुर।

15. स्वर्ण सिंह पुत्र गुरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 6 एफ ए रडेवाला तहसील श्री करणपुर।

16. सुखजीत कौर पत्नि तेज सिंह उर्फ गुरतेज सिंह जाति जटसिख निवासी 6 एफ ए रडेवाला तहसील श्री करणपुर।

17. बलदेव सिंह पुत्र तेज सिंह उर्फ गुरतेज सिंह जाति जटसिख निवासी 6 एफ ए रडेवाला तहसील श्री करणपुर।

18. बलकरण सिंह पुत्र तेज सिंह उर्फ गुरतेज सिंह जाति जटसिख निवासी 6 एफ ए रडेवाला तहसील श्री करणपुर।

19. वीरपाल कौर पुत्री तेज सिंह उर्फ गुरतेज सिंह जाति जटसिख निवासी 6 एफ ए रडेवाला तहसील श्री करणपुर।

20. भाग सिंह पुत्र धर्म सिंह जाति जटसिख निवासी 6 एफ ए रडेवाला तहसील श्री करणपुर।

21. गुरनाम सिंह पुत्र मित सिंह जाति जटसिख निवासी 6 एफ ए रडेवाला तहसील श्री करणपुर।

22. गुरमेल सिंह पुत्र मित सिंह जाति जटसिख निवासी 6 एफ ए रडेवाला तहसील श्री करणपुर।

23. हरपाल सिंह पुत्र करतार सिंह जाति जटसिख निवासी 6 एफ ए रडेवाला तहसील श्री करणपुर।

24. अमरजीत सिंह पुत्र करतार सिंह जाति जटसिख निवासी 6 एफ ए रडेवाला तहसील श्री करणपुर।

25. दान सिंह पुत्र करतार सिंह जाति जटसिख निवासी 6 एफ ए रडेवाला तहसील श्री करणपुर।

26. गुरदीप सिंह पुत्र करतार सिंह जाति जटसिख निवासी 6 एफ ए रडेवाला तहसील श्री करणपुर।

27. जसविन्द्र कौर पत्नि बसन्त सिंह जाति जटसिख निवासी 6 एफ ए रडेवाला तहसील श्री करणपुर।

28. गुरविन्द्र कौर पत्नि लखविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 6 एफ ए रडेवाला तहसील श्री करणपुर।

29. जसनीत कौर पत्नि जसविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 6 एफ ए रडेवाला तहसील श्री करणपुर।

30. बलकरण सिंह पुत्र बूड सिंह जाति जटसिख निवासी 6 एफ ए रडेवाला तहसील श्री करणपुर।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

	31. नगकरण सिंह पुत्र बूड़ सिंह जाति जटसिख निवासी 6 एफ ए रडेवाला तहसील श्री करणपुर। 32. मधु पत्नि सुभाष चन्द्र अरोडा निवासी श्री करणपुर तहसील श्री करणपुर। 33. स्टेट ऑफ, राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीकरणपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:- 01.08.2018

उपस्थितः 1.श्री इन्द्रजीत सिंह, बलवीर सिंह अधिवक्ता वादीगण

--निर्णय-- **दिनांकः 12.11.2021**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक चक 6 एफ ए की जमाबन्दी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 15/69 के मु.न. 8, 13, 33, 45, 50, कुल 12.628 हैक्टर नहरी भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि मुश्तर्का खाता की भूमि है। काश्तकारो ने काश्त की सहुलियत से मौखिक बंटवारानामा किया हुआ है। प्रत्येक खातेदार का अपने-अपने हिस्सा के अनुसार भूमि पर बंटवारानुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त सयुक्त खाता की भूमि में से वादीगण संख्या 1 ता 4 के कब्जा काश्त में चक 6 एफ ए रडेवाला की जमाबन्दी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 15/69 के मु.न. 13 के किला न. 15 में 0.227 हैक्टर, किला न. 16 में 0.228 हैक्टर, किला न. 17 ता 20 प्रत्येक सालम व किला न. 23 में 0.126 हैक्टर, किला न. 24 सालम, किला न. 25 में 0.228 हैक्टर कुल 2.074 हैक्टर नहरी भूमि उक्त भूमि वादीगण संख्या 1 ता 4 ने जरिए रजिस्टर्ड बैयनामा खातेदार मधु पत्नि सुभाष चन्द्र अरोडा निवासी श्री करणपुर से खरीद की हुई है। जिसका इन्तकाल संख्या 455 वादीगण संख्या 1 ता 4 के नाम दर्ज है। और उक्त भूमि वादीगण संख्या 1 ता 4 के कब्जा काश्त में है। उक्त भूमि में वादी सख्या 5 व 6 के कब्जा काश्त में चक 6 एफ ए रडेवाला की जमाबन्दी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 15/69 के मु.न. 45 के किला न. 1 ता 4 प्रत्येक सालम कुल 1.012 हैक्टर नहरी भूमि प्राप्त हुई है। वादीगण संख्या 5 व 6 के कब्जा काश्त में उक्त भूमि है। वादाधीन भूमि संयुक्त खाता की भूमि है और भूमि छोटे-छोटे टुकडो में बट चुकी है इस कारण भूमि की काश्त करने, बैंक ऋण प्राप्त करने, सिंचाई करने, गिरदावरी व लगान आदि के बाबत व रास्ता के बाबत भारी असुविधा होती है और परेशानी बनी रहती है। इसलिए इस परेशानी का एक मात्र उपाय यह है कि माननीय न्यायालय में विभाजन का वाद पत्र प्रस्तुत करके संयुक्त खाता की भूमि का विधिवत बंटवारा करवाया जाकर विभाजन की डिक्री प्राप्त की जावे। वादीगण दिनांक 20.07.2018 को प्रतिवादीगण से मिले व संयुक्त खाता की भूमि का विधिवत विभाजन करवाने का कहा तो प्रतिवादीगण वादाधीन भूमि का विधिवत विभाजन करवाने से साफ इन्कार हो गये। यही वाद कारण है। उक्त आराजी राजस्थान सरकार मे निहित हो चुकी है इसलिए तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर को बतौर लैण्ड होल्डर दावा मे पक्षकार बनाया गया है। अतः वादीगण द्वारा दावा पेश कर निवेदन है कि दावा निम्न प्रकार से डिक्री किया जावे- कि तहसील श्रीकरणपुर के चक 6 एफए रडेवाला की जमाबन्दी सम्वत् 2069 ता 2072 के खाता संख्या 15/69 के मु0नं0 13 के किला नं0 15 में 0.227 है0 किला नं0 17 ता 20 प्रत्येक सालम-सालम व किला नं0 23 में 0.126 है0 किला नं. 24 सालम, किला नम्बर 25 में 0.228 हैक्टर कुल रकबा 2.274 हैक्टर भूमि वादी संख्या 1 ता 4 के हिस्सा का विभाजन कर किलावाईज भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जावे। व चक 6 एफ ए की जमाबन्दी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 15/69 के मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 1 ता 4 प्रत्येक सालम कुल 1.012 हैक्टर नहरी भूमि का वादी संख्या 5 ता 6 के हिस्सा का विभाजन कर किलवाईज भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जावे। वादीगण के हिस्सा में आई

5

उपखण्ड अधिकारी श्री करणपुर

भूमि का राजस्व लगान भी अलग से कायम किया जावें। एंव अन्य कोई अनुतोष हो तो वादीगण को दिलाया जावे। वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव प्रतिवादीगण को जरिए समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 3 ता 11,22,25,26,28,29,30,31 की तलवी विधिवत रूप से होने के बावजूद उपस्थित नहीं आने पर एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रतिवादी संख्या 2,12,13,14 ता 21,23,24,27,32 का स्थाई पता प्राप्त नहीं होने पर इनकी तलवी जरिए अखबार प्रकाशन से करवाई गई। किसी के उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर बन्द किया गया। वादीगण अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया कि सभी प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही है। प्राथमिक डिक्री जारी कर विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वादपत्र डिक्री किया जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादीगण राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार है। लिहाजा वादीगण अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहते है। लिहाजा वादीगण के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री इस आश्य की सादिर की गई कि राजस्व ग्राम चक 6 एफ ए, पटवार हल्का रडेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र गोविन्दगढ, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबन्दी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 15/69 के मु.न. 8, 13, 33, 45, 50 की कुल 12.628 हैक्टर नहरी भूमि में वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त, राजस्व रिकॉर्ड मे हक हिस्से अनुसार दर्ज भूमि का मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किए जावे। तथा शेष खाता बदस्तुर रहे। तहसीलदार श्रीकरणपुर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना मे विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अधिकृत किया गया तहसीलदार श्रीकरणपुर ने प्राथमिक डिकी की पालना में अपने पंत्राक 16550 दिनांक 11.11.2021 द्वारा बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सामिल मिसल की गई।

बहस वादीगण अधिवक्ता सुनी गई, बहस के दौरान वादीगण अधिवक्ता ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईश्तदुआ की है। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वादीगण अधिवक्ता एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद पत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना उचित समझते है।

-:आदेश:-

अतः माफिक बंटवारा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि राजस्व ग्राम चक 6 एफए पटवार हल्का रडेवाला, भू.अ. नि. क्षेत्र गोविन्दगढ, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर की सीमा मे जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 18/15 के मु.न. 8, 13, 33, 45, 50 की कुल 12.628 हैक्टर नहरी भूमि मे वादीगण के हक हिस्से की भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	चक	मु. न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान
1	जगतार सिंह पुत्र हरपाल सिंह जाति जटसिख निवासी 6 एफए रडेवाला तहसील श्री करणपुर। बलतार सिंह पुत्र हरपाल सिंह जाति जटसिख निवासी 6 एफए रडेवाला तहसील श्री करणपुर। जसकरण सिंह पुत्र अंग्रेज सिंह जाति जटसिख निवासी 6 एफए रडेवाला तहसील श्री करणपुर। बलकरण सिंह पुत्र अंग्रेज सिंह जाति जटसिख निवासी 6 एफए रडेवाला तहसील श्री करणपुर।	6 एफ ए	13	15 16 17 ता 20 23/1 24 25	0.227 हैक्टर 0.228 हैक्टर 1.012 हैक्टर 0.126 हैक्टर 0.253 हैक्टर 0.228 हैक्टर	नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी	2.02 2.03 9 1.12 2.25 2.03
2	हरदीप सिंह पुत्र गुरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 6 एफए रडेवाला तहसील श्री करणपुर। बलजिन्द्र कौर पत्नि हरदीप सिंह जाति जटसिख निवासी 6 एफए रडेवाला तहसील श्री करणपुर।	6 एफ ए	45	1 ता 4	1.012 हैक्टर	नहरी	9

शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

जगतार सिंह आदि बनाम गुरदीप कौर आदि
वाद पत्र अंतर्गत धारा 53,91 आरटीए, प्रकरण संख्या 78/2018

फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 12.11.2021 को लिखवाया जाकर प्रशासन गांवो के संग अभियान-2021, राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम पंचायत 6 एफ ए रडेवाला में सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र आर.ए.एस.

जगतार सिंह आदि बनाम गुरदीप कौर आदि

धारा अन्तर्गत **53, 91** आरटीए मुकदमा नं. **78/2018**

निर्णय दिनांक :- 12.11.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री इन्द्रजीत सिंह वडिंग, बलवीर सिंह** पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि -

वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 53, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम चक 6 एफए पटवार हल्का रडेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र गोविन्दगढ, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 18/15 के मु.न. 8, 13, 33, 45, 50 की कुल 12.628 हैक्टर नहरी भूमि में वादीगण के हक हिस्से की भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र. स.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	चक	मु. न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान
1	जगतार सिंह पुत्र हरपाल सिंह जाति जटसिख निवासी 6 एफए रडेवाला तहसील श्री करणपुर। बलतार सिंह पुत्र हरपाल सिंह जाति जटसिख निवासी 6 एफए रडेवाला तहसील श्री करणपुर। जसकरण सिंह पुत्र अंग्रेज सिंह जाति जटसिख निवासी 6 एफए रडेवाला तहसील श्री करणपुर। बलकरण सिंह पुत्र अग्रेज सिंह जाति जटसिख निवासी 6 एफए रडेवाला तहसील श्री करणपुर।	6 एफ ए	13	15 16 17 ता 20 23/1 24 25	0.227 हैक्टर 0.228 हैक्टर 1.012 हैक्टर 0.126 हैक्टर 0.253 हैक्टर 0.228 हैक्टर	नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी	2.02 2.03 9 1.12 2.25 2.03

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

2	हरदीप सिंह पुत्र गुरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 6 एफए रडेवाला तहसील श्री करणपुर। बलजिन्द्र कौर पत्नि हरदीप सिंह जाति जटसिख निवासी 6 एफए रडेवाला तहसील श्री करणपुर।	6 एफ ए	45	1 ता 4	1.012 हैक्टर	नहरी	9

शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपुर्यक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

आज दिनांक 17/11/21 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	1000	00	मेहनताना वकली पर	00	--
योग	1004	**00**	**योग**	**00**	00

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन (उपखण्ड) अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर
दिनांक: 17/11/21

उपखण्ड अधिकारी (राजस्थान) श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

क्रमांक: राजस्व/ 2021/ 444 प्रेषित हो।
प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर की पालनार्थ प्रेषित हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर